27.01.2025 पत्रावली पेश। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित।
अप्रार्थीगण 01 अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं।
पूर्व में पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है
परन्तु इसके बावजूद जवाब पेश नहीं। अतः
अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब बन्द किया जाता है।
बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की सुनी गई।
प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित
तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में
निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या
01 सभी लाला पुत्र रतना जाति रेबारी
के जायज वारिस व उत्तराधिकारी है। प्रार्थीगण
के पति/दादा/ससुर लाला पुत्र रतना का देहान्त
हो चुका है जिनके विधिक वारिस प्रार्थीगण व

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:07:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	अप्रार्थी संख्या 01 भी इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 भावना के अलावा अन्य कोई व्यक्ति स्व. लाखा का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी अभी जीवित नहीं है। प्रार्थीया मीरादेवी लाखा की प्रथम पत्नि होने से एवं अन्य प्रार्थीगण प्रभुकाई पुत्र लाखा की वाजिब्ला संतान होने के नाते अपने दादा/ससूर/पति लाखा को पुश्तैनी रूप से प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की चल-अचल सम्पति में हिन्दू विधि के प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म से ही अपना-अपना हिस्सा समान रूप से रखते आ रहे हैं। लाखा पुत्र रतना ने अपनी प्रथम पत्नि कुम मीराबेन को जीवित रहते हुए ही दूसरा अवैध विवाह सोनादेवी के साथ अवैध रूप से कर लिया तथा उसके बाद उन दोनो द्वारा हमें प्रताडित किया जाने लगा जिस पर मैं प्रार्थीया मीराबेन अपने पुत्र प्रभु को लेकर मेरे पीहर आतेरा अपने पिता के घर चली गयी तथा वर्तमान में अस्थायी रूप से वहीं निवास कर रही हूं। ग्राम दुगावा में हमारी पुश्तैनी खातेदारी भूमि नवीन खेत खसरा नम्बर 143 रकबा 7.42 हेक्टर की आई हुई है, जो वर्तमान के राजस्व रेकर्ड में सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 01 भावना के नाम से दर्ज है। उपरोक्त आराजी के पुराने खसरा संख्या 31 की आराजीयात वक्त प्रथम ~~सेटल~~ सेटलमेन्ट रतना पुत्र वना के नाम से रही हो तथा रतना के फौत होने पर उक्त आराजी लाखा पुत्र रतना के	

(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:07:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम अह... हुक्म... मे तारीख
	नाम दर्ज हुआ तथा तत्पश्चात लाला भी फौत हो गए जिससे उपरोक्त आराजी ~~व्यवस्था~~ लाला के नाम ~~से~~ दर्ज भूमि ग्राम डुगावा के खसरा नम्बर 143 रकबा 7.52 हैक्टर प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 का बराबर बराबर 1/3 - 1/3 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के अनुसार निहित है परन्तु अप्रार्थी जवाना ने हल्का पटवारी से मिल कर सम्पूर्ण आराजी में अपना नाम दर्ज कर लिया। जवाना की माता तथा लाला की अंतिम पत्नि धापूदेवी की मृत्यु लाला की मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी। इसलिए उनका कोई हक नहीं बनता है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी हम प्रार्थीगण की पुश्तैनी, कब्जाशुदा खातेदारी भूमि है तथा मौके पर माफिक हिस्सा लगातार हमारा कब्जा चला आ रहा है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला हमारे पक्ष में है तथा अन्दर रहवासीय पक्का मकान भी स्थित है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है ~~इस प्रकार~~ इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 अगर हमें हमारे कब्जाशुदा पुश्तैनी भूमि से बिना किसी विधिसम्मत प्रक्रिया के जोर जबरदस्ती से विधिविरुद्ध ढंग से बेदखल करने में सफल हो जाते है या वादग्रस्त आराजी का बेचान कर हस्तांतरण कर दिया तो हम प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रुपये-पैसे में किया जाना कतई मुमकिन नहीं होगा।	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:07:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	प्रत्युत्तर में प्रतिवादी 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का रेकॉर्ड खातेदार है रेकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है प्रार्थीगण द्वारा मनगढ़त तथा तथ्यहीन प्रार्थना पत्र पेश किया है अप्रार्थी अपनी उक्त की खातेदारी भूमि का उपभोग-उपयोग करने हेतु स्वतंत्र है प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को मात्र तंग-परेशान करने हेतु वाद दायर किया है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का काबिल खारिज है मैंने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये हैं कि जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी आराजी हो इस मामला ~~मा~~ प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के हक में बनना नहीं पाता है अप्रार्थी संख्या 01 रेकॉर्डेड खातेदार है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है इस प्रकार मामला प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से अपूरणीय क्षति का प्रश्न ही नहीं उठता है इस प्रकार अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु (i) मामला प्रथम दृष्टया (ii) सुविधा का संतुलन तथा (iii) अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण 01 के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र सारहीन व ~~...~~ अग्राह्य होने से स्वइन्कार अस्वीकार / खारिज किया जाता है पत्रावली बैलन्सशुदा होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो सहायक कलेक्टर, सांचोर (उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:47:50 IST
Reason: SelfAttested